


28/07/22

28.07.2022:- आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी में लिया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थीया उक्त प्रार्थना-पत्र में आगामी कार्यवाही नहीं करना चाहती। वादपत्र खारिज हो गया। वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल  कर हो।

★  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़